

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/194
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00154
CICOM/R/2019/00563

दिनांक: 09.09.2019

अपीलकर्ता : श्री तारकेश्वर,
सहायक अनुभाग अधिकारी,
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
सेवा भवन, आर. के. पुरम,
नई दिल्ली - 110066.

निर्णय की तारीख: 09.09.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.07.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.07.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. असीजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.08.2019
प्रथम अपील की डायरी सं. व तिथि	16155/19.08.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.07.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के द्वितीय अपील सं. CIC/UODEL/A/2018/131908 से संबंधित दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि अपील सं. CIC/UODEL/A/2018/131908 की सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची बिना हस्ताक्षर वाली उपलब्ध करवाई गई है तथा अनुरोध किया है कि उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर वाली सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाई जाए। तदुसार श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपील सं. CIC/UODEL/A/2018/131908 की हाजिरी (अटेंडेंस शीट) की सत्यापित प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



पीयूष अग्रवाल

(पीयूष अग्रवाल)

पंजीयक एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

12/09/19
12/9/19

